

प्रेस नोट दिनांक 08.11.2020

थाना बहेड़ी जनपद बरेली

थाना बहेड़ी #bareillypolice द्वारा मु0अ0सं0 686/2020 धारा 302 आईपीसी के वांछित अभियुक्त मोहन लाल को किया गिरफ्तार ।

थाना बहेड़ी, बरेली के क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पुनई में श्रीमती धर्मवती पत्नी स्व. सीताराम नि0 ग्राम पुनई थाना बहेड़ी, जिला बरेली की दिनांक 04.11.2020 की रात में समय करीब 23.00 बजे फावडे के बेंटे से उसके सिर पर वार कर हत्या कर दी थी । जिसमें धर्मवती के जेठ यादराम पुत्र स्व0 लाखन निवासी ग्राम पुनई मजरा सन्तोष गौटिया थाना बहेड़ी बरेली के द्वारा मु0अ0सं0 686/2020 धारा 302 भादवि बनाम 1. मोहन लाल पुत्र स्व. लाखन नि0 ग्राम पुनई थाना बहेड़ी, जिला बरेली के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था । श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवम् श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय बहेड़ी के निकट पर्यवेक्षण मे दिनांक 08.11.2020 को थाना प्रभारी/ASP सत्य नारायण (IPS) के नेतृत्व मे निरीक्षक अपराध पंकज पंत, उ0नि0 ब्रिजेश कुमार, उ0नि0 रामवीर सिंह, का0 1239 बिट्टू सिंह व का0 3059 ललित मलिक के द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना बहेड़ी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 686/2020 धारा 302 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त 1. मोहन लाल पुत्र स्व. लाखन जाटव नि0 ग्राम पुनई थाना बहेड़ी, जनपद बरेली उम्र 38 वर्ष को समय करीब 09.30 बजे सुबह में रोडवेज बस स्टैण्ड बहेड़ी से गिरफ्तार किया गया ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

1- मोहन लाल पुत्र स्व. लाखन जाटव नि0 ग्राम पुनई थाना बहेड़ी, जनपद बरेली ।

पंजीकृत अभियोग -

1-मु0अ0सं0 686/2020 धारा 302 भादवि ।

बरामदगी -

1-घटना में प्रयुक्त एक अदद फावडे का बेंटा (आला कत्ल) ।

1-घटना के समय अभियुक्त द्वारा पहने खूनालूद कपडे ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम -

1-निरीक्षक अपराध पंकज पंत थाना बहेड़ी बरेली ।

2-उ0नि0 श्री ब्रिजेश कुमार थाना बहेड़ी बरेली ।

3-उ0नि0 श्री रामवीर सिंह थाना बहेड़ी बरेली ।

4-का0 1239 बिट्टू सिंह थाना बहेड़ी बरेली ।

5-का0 3059 ललित मलिक थाना बहेड़ी बरेली ।

**सोशल मीडिया सैल
जनपद बरेली**